न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

अनुसूचि 14 फार्म सं0-162

बासु मालतो
बनाम
16 आना रैयत
मौजा–गंगोपाडा बेडो

आदेश–फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख..जिला–साहेबगंज

केस के प्रकार–धारा – प्रधान बहाली वाद संख्या 55/2019–20

आदेशकी क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3
19.8.19	अंचल अधिकारी, पतना के पत्रांक 351/रा0 दिनांक 23.07.2019 के द्वारा मौजा– गंगोपाडा बेडो के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा– गंगोपाडा बेडो में दिनांक 17.08.2019 को श्री हजरा पहाडिया के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्व सम्मति से बासु मालतो, पिता–मैसा पहाडिया, ग्राम– गंगोपाडा बेडो, को मौजा–गंगोपाडा बेडो में प्रधान के रुप में चाहते है तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा। अंचल अधिकारी, पतना ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा–गंगोपाडा बेडो के पूर्व बहाल प्रधान मैया पहाडिया का निधन दिनांक 18.08.2018 को प्राकृतिक कारण से हो गई जिसके कारण प्रधानी पद रिक्त है। मौजा के ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बासु मालतो पिता–मैसा पहाडिया, ग्राम– गंगोपाडा बेडो, थाना–रांगा, जिला–साहेबगंज को प्रधान के रुप में चयन किया गया है। अतएव अंचल अधिकारी, पतना के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक बासु मालतो को मौजा– गंगोपाडा बेडो, में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पतना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।	ज्ञापांक 429/स्था0 दि0-31.8.19

अत: अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन समर्पित।

Scanned with CamScanner